RTI MATTER/TIME-BOUND

A-43020/ 76 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affais/Grih Mantralaya
****

New Delhi dated the 24thJuly, 2014.

ORDER

Subject: First Appeal filed by Shri Koko Pandit under the RTI Act, 2005.
****

Whereas Shri Koko Pandit vide his RTI application dated 26/04/2014 had raised issues concerning Government of Bihar and sought details in this regard.

2. Whereas the information sought in the application did not pertain to the Ministry of Home Affairs but was related to the Government of Bihar. Accordingly, the CPIO vide his reply dated 23/05/2014 had advised the applicant to address his application to the State Government of Bihar.

3. Whereas vide his 1st Appeal dated 20/06/2014, Shri Koko Pandit has stated that he has not been provided the information which was sought in the RTI application.

4. Whereas the appellant is informed that as per the Department of Personnel & Training's O.M. No.10/2/2008-IR dated 12/06/2008 (copy enclosed), "if the information requested in an application pertains to any public authority under the State Government/UT Admn., the application need not be transferred to that State Govt./UT Admn. Instead, the applicant should be advised to address the application directly to the concerned State/UT for obtaining information."

5. In view of the position stated at para.4 above, the previous reply of the CPIO is in order. The appeal is accordingly disposed of without any order.

Encl: As above.

24/7/14
(Satpal Chauhan)
Joint Secretary & Appellate Authority
T. No. 23093178

Shri Koka Pandit @ Amrit Pandit,
Vill. Musechan, Post Lakhaminiyan
Distt. Begusarai
BIHAR.

Copy to:

Section Officer (IT Cell), MHA, North Block along with a copy of the RTI application, appeal and reply in respect of Shri Koka Pandit for uploading in the MHA web site.

e replied in Hindi

PLEASE ISSUE
R&I SECTION
28/5/14

RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
****

New Delhi, Dated: 23.05.2014.

Subject: Information sought under the Right to Information Act, 2005.
****

Please refer to your application dated 26.04.2014 under the RTI Act, 2005 which was received in this Ministry on 29.04.2014 wherein you have sought the matter related to State Government.

2. It is stated that the information is a State subject; the information sought may be available with State Government. Hence, you are requested to obtain the same directly from the concerned State Government as specified in the Department of Personnel & Training's O.M. No.10/2/2008-IR dated 12.06.2008 (copy enclosed).

3. The prescribed application fee of Rs. 10/- has been received in this Ministry vide receipt No. 29676 dated 07.05.2014.

4. The Appellate Authority in this regard is Shri Satpal Chauhan Joint Secretary (Admn.), MHA, North Block, New Delhi

Encl: As above.

(V.K. Rajan)
Dy. Secretary (E) & CPIO

To

Shri Koko Pandit @ Amrit Pandit
S/o Shri Ram Chalitar Pandit
Vill.- Musechack,
PO- Lakhmenia Distt.- Begusarai (Bihar)
PIN - 851211.

जारी ISSUED
28 MAY 2014
MHA (NB)
हस्ताक्षर/Sign.........
प्रा. तथा प्रे./R&I

177/Appeal/K12/2014
21/2114

प्रपत्र 'क'

प्रथम अपील प्रपत्र

(नियम 6(1) देखें)

I.d. No..........

Date..........

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

दिनांक - 20 जून 2014.

प्रेषक -
ओंकार पंडित उर्फ आनन्द पंडित
S/o श्री राम भजिन्दर पंडित
ग्राम - मुसेपुर
पो० - लखमिनियाँ
जिला बेगुसराय (बिहार)
पिन - 851211

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
26 JUN 2014
710

सेवा में,
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव
गृह मंत्रालय/विभाग
भारत सरकार नई दिल्ली
- 110001.

विषय - 20/04/2014 (20 April, 2014) को SPEED-POST (रसीद की छायाप्रति संलग्न है) से लोक सूचना पदा० धिकारी (P.I.O) गृह विभाग/मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली - 110001 के नाम भेजे गए RTI आवेदन-पत्र का जवाब अबतक (20/06/2014) नहीं मिलने के

अपील करने के सम्बन्ध में ताकि सूचना उपलब्ध हो सके।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि मैंने दिनांक- 25/04/2014 (25 अप्रैल 2014) को Registered Post (रसीद की छायाप्रति संलग्न है) से समस्त कागजात के साथ एक R.T.I आवेदन-पत्र (छायाप्रति संलग्न है) लोक सूचना पदाधिकारी सह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के नाम से मांगा। जिसका जवाब आज 'दो माह' बीत जाने के बावजूद भी बिना कोई कारण बताये लोक सूचना पदाधिकारी, ~~गृह मंत्रालय~~ गृह मंत्रालय/विभाग द्वारा आजतक नहीं दिया गया है जो R.T.I Act-05 के निर्धारित 30 दिन समय सीमा का सीधा उल्लंघन है जो लोक सूचना पदाधिकारी (P.I.O) गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की लापरवाही को दर्शाता है कि वे मेरे R.T.I आवेदन-पत्र के द्वारा मांगे गए सूचना का जवाब देने के प्रति गंभीर नहीं है या किसी कारणवश मांगे गए सूचना का जवाब देना नहीं चाहते हैं। अगर वे गंभीर होते तो आज तक मुझे कुछ न कुछ सूचना का जवाब उपलब्ध किए होते।

अतः प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से निवेदन है कि उपर्युक्त स्थिति का ध्यानार्थ एवं अध्ययन करते हुए मेरे अपील का अतिशीघ्र निस्तारण कर मेरे द्वारा मांगे गए सूचना का जवाब विस्तार एवं सुस्पष्ट रूप से अविलम्ब दिलायें। इसके लिए आप का मैं सदा आभारी बना रहूंगा।

धन्यवाद सहित!

स्थान —
दिनांक -

आपका विश्वासी
कोको पंडित
विभाजन विरोध समिति
का प्रदेश उपाध्यक्ष
एवं वार्ड सदस्य
एवं
R.T.I सामाजिक
कार्यकर्ता

मो० – 9570943049
Email Id – Kokopandit@gmail.com

संलग्नक –

(1) 20/04/2014 को भेजा गया R.T.I आवेदन-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित कागजात की छाया-प्रति।

प्रपत्र - 'क'

(नियम 3 (1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई. डी. सं. ....

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी, सह सचिव

(विभाग / कार्यालय) गृह मंत्रालय / दिल्ली

भारत सरकार, नई दिल्ली

1. आवेदक का नाम - कोकी पंडित उर्फ अमृत पंडित S/o श्री राम-चरित्र पंडित
2. पूरा पता - ग्राम-मुसेपुर पो०-लखमिनियाँ जिला-बेगूसराय (बिहार) पिन कोड-851211
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के धारा-6(3) के तहत निम्न सूचना प्राप्ति हेतु-

① प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (B.D.O) श्री उपेन्द्र प्रसाद साहेबपुर कमाल (बेगूसराय, बिहार) के द्वारा केदार साह S/o श्री राम बालक साह उर्फ बल्लू साह एवं इनके परिवार के सदस्यगण (ग्राम-मुसेपुर, पो०-लखमिनियाँ थाना-साहेबपुर कमाल, जिला-बेगूसराय, बिहार) से 'पैसा' लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुसेपुर, पंचायत-[illegible] उत्तर, प्रखण्ड सह अंचल + थाना साहेबपुर कमाल (बेगूसराय बिहार) की भूमि (जमीन) पर फर्जी दस्तावेज के आधार (क्रमशः)

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने 10/- (शब्दों में) दस रुपया तिथि 21/04/2014 को रसीद सं० 25F 312658 से विभाग / कार्यालय में भुगतान किया है।

   (2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं०.......................दिनांक.......................जो ....पदाधिकारी के पक्ष मे.......................बैंक द्वारा जारी की गई है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

   (3) मैंने ....रूपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

   (4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड / वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

स्थान : मुसेपुर, लखमिनियाँ, बेगू०

तिथि : 21/04/2014.

कौ कौ पंडित

आवेदक का हस्ताक्षर :

ई-मेल पता, अगर कोई हो : kp1116@gmail.com.

दूरभाष संख्या (कार्यालय) :

आवास : 09570943049.

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता : कोकी पंडित उर्फ अमृत पंडित S/o श्री राम-चरित्र पंडित, ग्रा०-मुसेपुर, पो०-लखमिनियाँ जिला-बेगूसराय (बिहार), पिन कोड - 851211

नोट : गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।

जो लागू नहीं है उसे काट दें।

P.T.O

पर 'इन्दिरा-आवास' बनाये जाने की शिकायत (छायाप्रति संलग्न है) जिले के समस्त सम्बन्धित अधिकारी (D.M, S.P, D.E.O, SDM/SDO, AB.A, DSP/ASP, थानाध्यक्ष, C.O, BE.O, कनिष्ठ, D.E.O आदि) से कहने के बावजूद भी उनके द्वारा लगातार इस मुद्दे को नज़र-अंदाज कर दोषी B.D.O (उपेन्द्र-प्रसाद) एवं बाबू (केदार साह एवं उनके परिवार) को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके कारण ग्रामीण एवं विद्यालय शिक्षा समिति के बार-बार विरोध के बावजूद भी न तो विद्यालय भूमि पर से 'इन्दिरा-आवास' तोड़कर हटाया गया है न तो बाबू (केदार साह एवं उनके परिवार) एवं दोषी B.D.O (उपेन्द्र-प्रसाद) के ऊपर कोई कार्रवाई किया गया। जबकि सभी तरह की जाँच से स्पष्ट हो गया है कि B.D.O की मिलीभगत से 'फर्जी जमीन' के कागजात (छायाप्रति संलग्न है) के आधार पर विद्यालय भूमि पर 'इन्दिरा-आवास' बनाया गया है। जिले के सभी अधिकारी तथा ग्रामीणों से लिखित समझौता/वार्ता कर (छायाप्रति संलग्न है) विद्यालय भूमि पर इन्दिरा आवास तोड़कर हटाने, दोषी B.D.O (उपेन्द्र-प्रसाद) एवं बाबू (केदार साह एवं उनके परिवार) पर उचित कार्रवाई करने बात कई बार कह चुके हैं। लेकिन वो लगातार अपनी इस लिखित समझौते की अवहेलना कर दोषी B.D.O (उपेन्द्र-प्रसाद) एवं बाबू (केदार साह) के बचाने के लिए इस मुद्दे की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। ग्रामीण एवं विद्यालय शिक्षा समिति इनके इस उपेक्षापूर्ण नीति से आक्रोशित होकर 'राज्यपाल (बिहार)' बिहार सरकार, पटना समेत सभी छोटे-बड़े अधिकारी को 'ईमेल एवं निबंधित डाक' से पत्र भेजकर पिछले '9 जनवरी 2014' से विद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबन्दी किए हुए हैं। जिससे पठन-पाठन कार्य पूर्णतः ठप (बन्द-होने) से क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है। लेकिन जिले के कोई अधिकारी इसकी आजतक सुध नहीं लेने आए हैं। अंत में माननीय 'गृह मंत्री' भारत सरकार नई दिल्ली बताने की कि ग्रामीण अब अपने न्याय की माँग को लेकर कहाँ जाए? जिससे (क्रमशः)

प्रपत्र - 'ख'

(नियम 3 (1) देखें)

आवेदन की प्राप्ति - रसीद

प्रेषक,
लोक सूचना पदाधिकारी,
(विभाग / कार्यालय)

आई. डी. सं. ....तिथि ....

1. सूचना का अधिकार नियमावली 2005 के नियम 3 के उप नियम (1) के अंतर्गत विहित प्रपत्र 'क' में आवेदन दिनांक .... श्री/श्रीमती/कुमारी ....ग्राम ....जिला ....से प्राप्त किया ।

2. सूचना तीस दिनों के अंदर दी जाएगी । अगर यह पाया जाता है कि याचित सूचना देना संभव नहीं है, तो उसका कारण दिखाते हुए अथवा अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए एक पत्र निर्गत किया जाएगा ।

3. आवेदक 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी से दिनांक .... (यहाँ तिथि का उल्लेख करें जो आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों के बाद की न हो) को संपर्क करें ।

4. अगर आवेदक निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होंगे तो लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने में विलंब के लिए जवाबदेह नहीं होगा ।

5. सूचना और अभिलेख प्राप्त करने के पूर्व अगर कोई राशि, फीस अथवा शुल्क देय है तो आवेदक को जमा करना होगा ।

लोक सूचना पदाधिकारी :

विभाग / कार्यालय का नाम :
दूरभाष संख्या :
ई-मेल :
बेब साईट :

P.T.O

मिले? क्या करें? ताकि सरस्वती (विद्या/स्कूल) की उस मन्दिर की भूमि को लूट से बचाया जाए तथा इस कार्य में लापरवाह एवं दोषी अधिकारी व तथा साहू और उनके परिवार को सजा मिल सके ताकि भविष्य में ऐसा कार्य दोबारा कोई और करने की हिम्मत/साहस न करे। गृह मंत्री बिहार सरकार, पटना ग्रामीणों की इस मामले में क्या ~~[illegible]~~ सहायता कर सकता है? ताकि ग्रामीणों को न्याय मिले एवं विद्यालय भूमि पर निर्मित उनका आवास को तोड़कर हटाया जाए तथा उसकी चहारदीवारी (चारदिवारी) कर उसे हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए और दोषी B.D.O (धर्मेन्द्र प्रसाद) तथा साहू (ठेकेदार) को सजा मिले। अब तो स्थिति यह है कि ग्रामीणों की न्याय की आवाज को दबाने/बन्द करने के लिए उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज रहे हैं (F.I.R की कापी की छायाप्रति संलग्न है) ग्रामीण अब वह अन्याय के विरुद्ध आवाज कैसे उठायें तथा किसका दरवाजा खटखटायें, 'गृह मंत्री' भारत सरकार इसके लिए मार्गदर्शन करें। आदि सारी बातों का सविस्तार पूर्वक सुस्पष्ट रूप से अविलम्ब जवाब दें।

(2) इस R.T.I आवेदन-पत्र के साथ माननीय गृह मंत्री भारत सरकार पटना के नाम एक प्रार्थना-पत्र सारे कागजात की छायाप्रति के साथ संलग्न कर भेज रहा हूँ। उस पर माननीय 'गृह मंत्री' के द्वारा जो कार्रवाई होती है? उसका अविलम्ब जवाब इस R.T.I के साथ सविस्तार पूर्वक सुस्पष्ट रूप दें।

(3) गृह मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली लोक सूचना अधिकारी (P.I.O) के विरुद्ध अपील करने के लिए किसे 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' बनाया गया है? उनका नाम, पता, पद, फोन न० मो० न० फैक्स न० आदि क्या है? सविस्तार पूर्वक उपलब्ध करें।

धन्यवाद!

(क्रमशः)

संलग्नक

(1) 10 रुपया का भारतीय पोस्टल आर्डर, (I.P.O) लोक सूचना अधिकारी (P.I.O) गृह मंत्रालय/विभाग बिहार सरकार के नाम मूलप्रति।

(2) समस्त कागजात के छायाप्रति के साथ गृहमंत्री बिहार सरकार पटना के नाम की मूलप्रति।

(3) विद्यालय की भूमि से सम्बन्धित सभी प्रकार के दस्तावेज की छायाप्रति।

(4) अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ किया गया लिखित वार्ता एवं समझौता की कापी की छायाप्रति।

(5) ग्रामीणों के ऊपर किए गए फर्जी मुकदमे की F.I.R की कापी की छायाप्रति।

(6) ग्रामीणों द्वारा इस फर्जी मुकदमे की जाँच कर इस मुकदमे से निर्दोष ग्रामीणों को बचाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवेदन-पत्र की छायाप्रति।

नोट:- (1) उपरोक्त सभी संलग्नक गृहमंत्री बिहार सरकार पटना के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न है।

(2) समस्त सूचना कम्प्यूटरीकृत कापी की मूलप्रति में 'हिन्दी' के पुस्तक में दिया जाए।

अधपन्ना COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख लें

To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर

रुपए 10.00 Rs.

POSTAL ORDER

किसे अदा करना

To whom payable ____________

____

किस डाकघर में

At what Office ____________

क्या इसे क्रास किया है

Whether crossed ____________

भेजने की तारीख

Date sent ____________

25F 312658

प्रेषक,

दिनांक - 26/04/2014.

कोको पंडित उर्फ
अमृत पंडित
पे0 श्री राम चलितर पंडित
गॉव– मुसेचक
पोस्ट– लखमिनियाँ
जिला– बेगूसराय (बिहार)
पिन कोड– 851211

सेवा में,

गृह मंत्री,
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय :– केदार दास पे0 राम बालक दास उर्फ बलकू दास एवं इनके परिवार द्वारा उत्क्रमित मध्य विघालय– मुसेचक पंचायत सन्हा उत्तर,प्रखंड सह अंचल थाना– साहेबपुर कमाल अनुमंडल– बलिया जिला– बेगूसराय (बिहार) की भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा कर इन्दरा आवास योजना के तहत पक्की भवन बनाने की शिकायत जिला के सभी अधिकारियों से करने के बावजूद उनके द्वारा इसकी लगातार उपेक्षा करने तथा अबतक कोई ठोस कार्यवाही नही करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय में सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि बेगूसराय (बिहार) जिले के अन्तर्ग अनुमंडल बलिया के प्रखंड सह अंचल + थाना– साहेबपुर कमाल के सन्हा उत्तर पंचायत के मुसेचक गॉव में एक उत्क्रमित मध्य विघालय है जो आस–पास के कई गॉव के बच्चें के शिक्षा का एक मात्र केन्द्र है जिसमें लगभग 400–500 विधार्थी पढते है। इसकी स्थापना 60 के दशक में ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। इसे 1966 के आस–पास बिहार सरकार द्वारा मायन्ता प्राप्त हुआ। इस विघालय की जमीन राज्य पाल बिहार सरकार के नाम लगभग 17 कठठा है जो अलग–अलग भाग में कान्ती देवी पति स्व0 रंगू चौधरी (14 कठठा 12 धूर) एंव शकुनी देवी सह सुगीया देवी पिता– स्व0 राम स्वरूप दास से दो अलग–अलग समय में राज्यपाल बिहार सरकार के नाम से निबन्धित कराया गया। इसकी वास्तविक पहचान के लिए क्षेत्र के जाने–माने अमीन विमल किशोर सिंह एवं अलख महतों के द्वारा नापी कराई गयी,तब पता चला कि दक्षिण पूर्व भाग में केदार दास पे0 राम बालक दास उर्फ बलकू दास एवं इनके परिवार के सदस्यगण ने लगभग 4 से 5 कठठा विघालय की भमि पर जर्बदस्ती कब्जा कर इन्दिरा आवास योजना के तहत पक्की भवन का निर्माण कर रहे है। इसके कारण ग्रामीण इसका विरोध करने लगे। जिसके कारण केदार दास एवं इनके परिवार के सदस्य–गण ग्रामीणों से लाठी डण्टा लेकर मार–पीट करने लगें। ग्रामीण इसकी शिकायत क्षेत्र के मुखिया श्री भूषण शर्मा एवं सरपंच विनो महतों ने किए। इन्होंने निमार्ण स्थल का निरक्षण कर सनिवेदन–पूर्वक केदार दास एवं इनके परिवार के सदस्यों से भवन निर्माण कार्य अविलम्ब रोकने एवं अपनी वास्तविक भूमि खेसरा–695 (विघालय की भूमि का

P.T.O

प्रतिलिपि

<Duplicate> SP LAKHMINIA
EF557394785IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:THE PRE.,BHARAT SARKAR → राष्ट्रपति भारत सरकार N.D
RASHTRAPATI BHAWAN, PIN:1100C
From:KOKO PANDIT , LMA
Wt:110grams.
Amt:45.00 , 11/02/2014 , 13:03
Taxes:Rs.5.00<<Track on www.india

SP LAKHMINIA S.O <851211>
EF557394799IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:E. MINISTER,BIHAR SARKAR
PATNA, PIN:800001 → मुख्य मंत्री बिहार सरकार पटना
From:KOKO PANDIT , LMA
Wt:110grams.
Amt:37.00 , 11/02/2014 , 13:04
Taxes:Rs.4.00<<Track on [illegible]

SP LAKHMINIA S.O <851211>
EF557394808IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:THE CHIF. JU.,PATNA HIGH COURT
PATNA, PIN:800001 → मुख्य न्यायधीश पटना उच्च न्यायालय पटना.
From:KOKO PANDIT , LMA
Wt:110grams.
Amt:37.00 , 11/02/2014 , 13:05
Taxes:Rs.4.00<<Track on www.indiapo

SP LAKHMINIA S.O <851211>
EF557394771IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:THE P.M.,BHARAT SARKAR
DELHI, PIN:110006 → प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली (N.D).
From:KOKO PANDIT , LMA
Wt:110grams.
Amt:45.00 , 11/02/2014 , 13:06
Taxes:Rs.5.00<<Track on www.i

P.T.O

विधालय भूमि पर निर्मित इन्दिरा आवास भ्रष्टाचार की जॉच कराने हेतू आवेदन पत्र

दिनांक:.....25/04/2015

प्रेषक,

कोको पंडित उर्फ अमृत पंडित
पिता राम चलित्तर पंडित
ग्राम–मुसेचक
पो0–लखमिनिया
जिला–बेगूसराय (बिहार)
पिन कोड–851211।

सेवा में,

विषयः–प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेवपुर कमाल (बेगूसराय) द्वारा केदार दास पिता राम बालक दास उर्फ बलकू दास एंव इनके परिवार के सदस्यगण (ग्राम –मुसेचक पो0लखमिनिया,जिला बेगूसराय) से पैसा लेकर उत्क्रमित मध्य विधालय मुसेचक पंचायत सन्हॉ उत्तर थाना साहेवपुर कमाल अनुमंडल बलिया जिला बेगूसराय की भूमि पर इन्दिरा आवास बनाने की जॉंच कर दोषी B.D.O एंव लाभूक केदार दास एंव इनके परिवार को सजा दिलाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में कहना है कि बेगूसराय (बिहार)के बलिया अनुमंडल के अन्तर्गत साहेवपुर कमाल प्रखंड सह अंचल +थाना के सन्हाँ उत्तर पंचायत के मुसेचक गॉव में एंक उत्क्रमित मध्य विधालय है। जो आस पास के कई गाँव के बच्चो के शिक्षा का एक मात्र केन्द्र है। जिसमे क्षेत्र भर के लगभग चार पाच सौ लड़के/लड़किया पढ़ते है।इसकी स्थापना 60 के दशक में ग्रामीणो के सहयोग से किया गया।इसे 1966 के आस पास, बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। इस विधालय का राजपाल बिहार सरकार के नाम कुल निबन्धित भूमि लगभग 17 कढ़ठा है जो दो अलग–अलग भाग एवं अलग–अलग समय में क्रमशः कांति देवी पति–स्व0 रंगू चौधरी तथा शकुनी देवी सह सुहगीया देवी पे0 – स्व0 राम स्वरूप दास से निबन्धित कराया गया। इसकी वास्तविक पहचान के लिए जब क्षेत्र के जाने–माने अमीन विमल किशोर सिंह एवं अलख महतों से नापी कराई गयी तब पता चला कि दक्षिण–पूर्व भाग में केदार दास पे0–राम बालक दास उर्फ बलकू दास तथा उनके परिवार के सदस्यगण द्वारा लगभग चार से पाँच कढ़ठा विद्यालय भूमि पर जर्वदस्ती कब्जा कर इन्दिरा आवास योजना के तहत पक्की भवन का निर्माण कर रहे है। ग्रामीण जब इसका विरोध किए तब केदार दास एवं इनके परिवार के सदस्यगण लाठी–डण्टा लेकर गाली–गलौज , मार–पीट करने लगे तथा जान से मारने की धमकी देने लगे। ग्रामीण इसकी शिकायत क्षेत्र के मुखिया भूषण शर्मा एवं सरपंच विनो महतों से किये। इन्होने निर्माण स्थल का निरिक्षण कर सविनय निवेदनपूर्वक केदार दास एवं इसके परिवार

के सदस्यगण से भवन निर्माण कार्य अबिलम्ब रोकने तथा अपनी वास्तविक भूमि खेसरा–695 (विद्यालय भूमि का खेसरा–696 एवं 718, 720 के छोड़कर) पर निर्माण कार्य करने का आग्रह कियें। लेकिन केदार दास एवं इनके परिवार के सदस्यगण इनकी भी अवहेलना कर लगातार भवन निर्माण कार्य करते रहे तथा ग्रामीण को डरवाने–धमकाने लगे कि जो मेरे भवन निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा हम सब समस्त परिवार मिलकर उसे बर्बाद कर देगें। अन्त में हम सब ग्रामीण विद्यालय शिक्षा समिति एवं विद्यालय के अध्यापकगण लगातार धरना प्रदर्शन एवं धारी वाही भूख हड़ताल के द्वारा जिले के सभी संबंधित अधिकारी से केदार दास एवं इनके परिवार के सदस्यगण पर अतिशीध्र ही उचित कानूनी कार्रवाही करने तथा विद्यालय भूमि पर निर्मित इन्दिरा आवास हटाने तथा अतिकमण से बचाने के लिए विद्यालय भूमि की चाहरदीवारी करने का निवेदन किया। सभी संबंधित अधिकारी एक माह के भीतर विद्यालय की भूमि पर निर्मित इन्दिरा आवास हटाने, चार–दीवारी करने तथा दोषी को सजा दिलाने का लिखित वार्ता एवं समझौता किए। लेकिन एक माह इस लिखित वार्ता एवं समझौता का पालन नहीं किया तब ग्रामीण विद्यालय शिक्षा समिति तथा अध्यापक गण सभी संबंधित अधिकारी/पदाधिकारी तथा माननीय राजराल महोदय को निवंधित डाक से पत्र के द्वारा सूचित कर **09 जनवरी 2014** से विद्यालय में अनिश्चित कालीन तालाबन्दी किए हुए हैं। इससे शिक्षण कार्य पूर्णतः बंद होन से क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है। लेकिन आज तक कोई संबंधित अधिकारी/पदाधिकारी इसकी सुध तक लेने नही आयें हैं। इसके पीछे कि सच्चाई ये है, कि सभी संबंधित अधिकारी/पदाधिकारी दोषी **B.D.O**साहेवपुर कमाल(बेगूसराय) एवं लाभूक केदार दास एवं इनके परिवार के सदस्यगण को बचाने पर तुले हुए क्योंकि इनकी पकड़ क्षेत्र के बड़े–बड़े सफेदपोश से है।

अतः हम सब ग्रामवासी एवं विद्यालय शिक्षा समिति तथा अध्यापकगण श्रीमान् से प्रार्थना करते है कि इस मामले की वास्तविक जाँच कर दोषी **B.D.O** साहेवपुर कमाल(बेगूसराय)एवं लाभूक केदार दास तथा इनके परिवार के सदस्यगण पर अविलम्ब उचित कानूनी कार्रवाही कर इन्हे सजा दिलायें। इसके लिए श्री मान् का सदा आभारी बने रहेगे।

सधन्यवाद!

विश्वासभाजन

कोको पंडित

कोको पंडित
उर्फ
अमृत पंडित
विधालय शिक्षा
समिति का अध्यक्ष
सह वार्ड
मेम्बर(वार्ड–1मुसेचक)

स्थानः– मुसेचक,लखमिनियाँ(बेगूसराय)
दिनांक :– 25/04/2014.

स्कूल की जमीन पर बनाया इंदिरा आवास

साहेबपुरकमाल ■ सनहा उत्तर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुशेचक की जमीन का अतिक्रमण कर उस पर इंदिरा आवास योजना से मकान बनाने का मामला प्रकाश में आया है. ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अंचलाधिकारी व जिलाधिकारी से की है व सार्वजनिक जमीन पर हो रहे भवन निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है. ग्रामीण सुनील कुमार पंडित ने बताया कि उक्त विद्यालय की निबंधित भूमि लगभग 17 कट्ठा है. यह जमीन क्रांति देवी, पति स्व. रंजू चौधरी व शकुनी देवी सह सुगिया देवी ने राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री की थी. जब जमीन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए मापी करायी गयी, तो पता चला कि पड़ोसी केदार दास वहां इंदिरा आवास योजना से मकान का निर्माण कर रहा है. उसने विद्यालय की लगभग पांच कट्ठा जमीन पर कब्जा कर लिया है. जब ग्रामीणों ने विद्यालय की जमीन पर निजी मकान बनाने से मना किया, तो वह गाली-गलौज करने लगा. इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गयी. इस संबंध में अंचलाधिकारी जयकृष्ण प्रसाद का कहना है कि विद्यालय की जमीन का कागजात मांगा गया है, जो अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है. फिर भी इसकी जांच का आदेश हल्का कर्मचारी को दे दिया गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.

P.T.O

'अब तक शासन प्रशासन के शिकायत
किए गए की सूची'

1. अंचलाधिकारी (धमीना DRI) - 06/07/2013, 07-07-2013, 19-07-2013.
2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी - 07/07/2013, 15/07/2013, 19/07/2013
3. प्रखण्ड शिक्षा ,, 06/07/2013 19/07/2013,
4. थाना प्रभारी (प्रमुख एवं धमीना) 07/07/2013, 13/07/2013
5. D.C.L.R (धमीना DRI, शिक्षा समिति) - 13/07/2013, 17/07/2013, 18/07/2013
6. D.S.P (धमीना DRI) - 13/07/2013
7. जिला शिक्षा पदाधिकारी (धमीना DRI) - 15/07/2013, 20/07/2013, 26/07/2013
8. D.M (जमाना मौखार) - 11/07/2013, 16/07/2013
9. S.P (धमीना DRI) 11/07/2013, 25/07/2013, 26/07/13
10. मुख्य मंत्री (डाक DRI) - 15/07/2013
11. सांसद (मोंगिर क्षेत्र) - 10/07/2013, 18/07/2013
12. S.D.M (खड़िया) — 19/07/2013, 22/07/2013 (आरक्षी अधीक्षक)
13. रेणु कुमारी कुशवाहा (मंत्री) - 19/07/2013.
14. कमिश्नर, मुंगेर - 10/04/2014
15. D.E.O मुंगेर ,,
16. राज्यपाल, बिहार सरकार पटना, 07/04/2014, 10/04/2014.
18. मुख्य मंत्री ,, 18/07/2013, 10/04/2014.
19. शिक्षा मंत्री ,, 10/04/2014.
20. मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय पटना - 10/04/2014.
21. निगरानी ब्यूरो पटना - 24/04/2014.
22. राष्ट्रपति, भारत सरकार नई दिल्ली - 10/04/2014.
23. प्रधान मंत्री ,, ,, ,,
24. मानव संसाधन मंत्री ,, ,, ,,

P.T.O

सेवा में,

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी (B.E.O).
साहेबपुर कमाल (बेगू०).

विषय — केदार दास पिता - राम बालक दास उर्फ बलकु दास के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय - मुरादपुर की भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा कर इन्दिरा आवास योजना के तहत पक्की भवन बनाने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि बेगूसराय जिले के अन्तर्गत अनुमण्डल - बलिया के प्रखण्ड सह अंचल + थाना साहेबपुर कमाल के सनहा उत्तर पंचायत के मुरादपुर गाँव में एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जो आसपास के चार-पाँच गाँव के बच्चों के शिक्षा का एकमात्र केन्द्र है जिसमें लगभग चार से पाँच सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं। जिसकी स्थापना 60 के दशक में ग्रामीणों के सहयोग से किया गया जिसमें 1966 के आस-पास सरकार द्वारा मान्यता मिला। इस विद्यालय की राज्यपाल के नाम से कुल निबन्धित भूमि लगभग 17 कट्ठा है जो अलग-अलग भाग में कान्ती देवी पति स्वर्गीय रंग लाल चौधरी एवं शकुनी देवी सह सुशीला देवी पिता स्वर्गीय रामस्वरूप दास से अलग-अलग समय में ग्रामीणों द्वारा राज्यपाल के नाम से निबन्धित कराया गया। इसकी वास्तविक पहचान के लिए विमल किशोर सिंह एवं अशोक महतो द्वारा मापी कराई गयी तब पता चला कि दक्षिण-पूर्व भाग में केदार दास पिता - रामबालक दास उर्फ बलकु दास एवं उनके परिवार के सदस्य गण ने लगभग 4 से 5 कट्ठा विद्यालय की भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा कर इन्दिरा आवास योजना के तहत पक्की भवन का निर्माण कर रहे हैं, इसके बाद ग्रामीण इसका विरोध करने लगे। इसके बाद केदार दास एवं उसके परिवार ग्रामीणों पर लाठी-डण्डा लेकर मार-पीट करने लगे उसके बाद ग्रामीण ने इसकी शिकायत क्षेत्र के मुखिया श्रीमती कृष्णा शर्मा एवं सरपंच विनो महतो से किए। उन्होंने

P.T.O

भवदीय

समस्त ग्रामीण वासी

1. Sunil Kumar Chaudhary
2. Rahul Kumar
3. उषा देवी
4. फेकू पंडित
5. राम प्रवेश पासवान
6. भरत पंडित
7. मिन्टू देवी
8. वकिल चौधरी
9. विजय पंडित
10. धनिया देवी
11. श्रधांजलि देवी
12. विक्रम पंडित
13. मंजू देवी
14. गौतम कुमार
15. मालती देवी
16. रंजन राय
17. राजकिशोर कुमार
18. आशा देवी
19. मनोज चौधरी

(1) जिला शिक्षा
पदाधिकारी
बेगूसराय

भारतीय डाक
India Post

RL LAKHMINIA (851211)
A RF134508996IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:SRI MAN JILA SIKSHA,BEGUSARA
BEGUSARAI, PIN:851101

Wt:28grams,
Amt:27.00 , 15/07/2013 , 11:40
<<>>

मुख्य मंत्री
बिहार सरकार
पटना

भारतीय डाक
India Post

RL LAKHMINIA (851211)
A RF134509002IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:MUKH MANTRI MAHODAY,BIHAR SARKAR
PATNA, PIN:800001

Wt:28grams,
Amt:27.00 , 15/07/2013 , 11:40
<<>>

P.T.O

जनता दरबार
D.M बेगूसराय (बिहार)
11/07/2013.

समाहरणालय, बेगूसराय
(जन शिकायत कोषांग)

शिकायत सं० 64

पत्रांक : 3421 दिनांक : 11.7.13
13/07/13

शिकायत निपटारा हेतु जिन्हें भेजा जाना है ....
अंचल अधिकारी, साहेबपुर कमाल।

जिला पदाधिकारी का पृष्ठांकित निर्देश सरकारी भूमि का अतिक्रमण का मामला है। अतिक्रमण मुक्त कराकर आवश्यक कार्रवाई करें।

11071 00082

सहायक

प्रभारी पदाधिकारी
जन शिकायत कोषांग, बेगूसराय

का अनुपालन करें।

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
बेगुसराय.

विषय - केदार दास पिता रामबालक दास उर्फ बच्चू दास के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुर्तेयक की भूमि को जबरदस्ती कब्जा कर इन्दिरा आवास योजना के तहत भवननिर्माण की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने के सम्बन्ध में

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुर्तेयक, साहेबपुर कमाल की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर इन्दिरा आवास योजना के तहत भवन का निर्माण कर रहे है जिसकी शिकायत सभी सम्बन्धित अधिकारी एवं पदाधिकारी से किया गया लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस सम्बन्ध श्रीमान् के जनता दरबार में भी शिकायत किया गया। लेकिन श्रीमान् भवन निर्माण कार्य अनवरत जारी है। एक-दो दिन में उसकी ढलाई होने वाली है। हम सब ग्रामीण वासी चिन्तित है कि कैसे विद्यालय की भूमि को बचाया जाए। अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा विद्यालय से सम्बन्धित कागजात की मांग करते है। हम लोग उनसे आग्रह किए कि कागजात खोज कर दे दें है तत्काल इसे अविलम्ब रोक लगाया जाए तथा केदार दास से कागजात मांगा जाए कि वो किस आधार पर घर बना रहे हैं। लेकिन कोई बी०डी०ओ० एवं सी०ओ० साहब सुनने के लिए

दिनांक- 26/07/2014
DM बेगुसराय

P.T.O

सेवा में,

श्रीमान अनुमण्डलाधिकारी, महोदय
बलिया, बेगूसराय

विषय- केदार साह पिता- रामबालक साह, एवं बबलू साह के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरैनाडीह की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर इन्दिरा आवास योजना के तहत पक्की भवन बनाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि बेगूसराय जिला के अन्तर्गत अनुमण्डल बलिया के प्रखण्ड सह अंचल साहेबपुर कमाल के सनहा उत्तर पंचायत के मुरैना गाँव एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जो आस-पास के चार-पाँच गाँवों के बच्चों के लिए का एक मात्र केन्द्र है जिसमें लगभग चार से पाँच सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं। जिसकी स्थापना 60 के दशक में ग्रामीणों के सहयोग से किया गया जिसे 1966 ई० आजाद सरकार द्वारा मान्यता मिला। इस विद्यालय को राज्यपाल के नाम से कुछ निबंधित भूमि लगभग 17 कट्ठा है जो अलग-अलग भाग में कान्ती देवी पति स्व० राम चौधरी एवं मधुर्मा देवी सह पुनीता देवी पिता स्व० राम स्वरूप साह से दो अलग अलग समय में ग्रामीणों द्वारा राज्यपाल के नाम से निबंधित करवाया गया। इस भूमि की वास्तविक पहचान के लिए ग्रामीणों द्वारा अमीन बालकृष्ण महतो एवं विमल किशोर सिंह के द्वारा नापी करवाया गया, तब पता चला कि दक्षिण-पूर्व भाग में केदार साह, पिता

P.T.O

अगर यह भवन अतिशीघ्र नहीं बना तो स्कूली बालक और बालिकाएँ फिर बच्चों को बिना छत के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

अतः हम सब ग्रामीण वासी श्रीमान से नम्र निवेदन करते हैं कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए ठेकेदार राम बालक पंडित एवं उनके परिवार के सदस्य पर अविलम्ब ही कानूनी कार्यवाही एवं भवन निर्माण कार्य पर अविलम्ब रोक लगाई जाए। ताकि आगामी [illegible] के दुस्साहसिक कार्य करने की हिम्मत न करे। अगर अतिशीघ्र ही कानूनी कार्यवाही नहीं होगा तो वह स्कूल भूमि पर अतिक्रमण कर लेगा।

भवदीय
समस्त ग्रामीण वासी

(1) अशोक [illegible]
(2) [illegible] पंडित
(3) अजय कुमार
(4) गौतम कुमार
(5) वकील चौधरी
(6) Sunil Kumar Pandit
(7) दामोदर पंडित
(8) कारे लाल पंडित
(9) कारे लाल पंडित
(10) विनय पंडित

[illegible]

सेवा में,

श्रीमान डी० एम० जी० मजिस्ट्रेट,

[illegible] जिला

विषय- कैलाश चन्द्र पुत्र राम स्वरूप उर्फ स्वरूप लाल द्वारा पुनीत कुमार पंडित एवं अन्य ग्रामीणों को जान से मार डालने के सम्बन्ध में,

[illegible] S.H.O. C.Komal, enquire the matter and take [illegible] action

सविनय निवेदन यह है कि पुनीत कुमार पंडित व ग्रामीणों के सहयोग से कैलाश चन्द्र पुत्र राम स्वरूप उर्फ स्वरूप लाल के द्वारा अनधिकृत रूप से [illegible] विभाग [illegible] द्वारा भवन निर्माण की शिकायत सभी संबंधित अधिकारी गण से की। जिसके कारण कैलाश चन्द्र एवं उनके परिवार के व्यक्ति पुनीत कुमार पंडित एवं अन्य ग्रामीणों को जान से मार डालने की धमकी देने लगे। पुनीत कुमार पंडित एवं ग्रामीण दहशत में हैं क्योंकि कैलाश चन्द्र का सम्बन्ध अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से है वह कभी भी कुछ भी करवा सकता है।

P.T.O

सेवा में,

अंचलाधिकारी महोदय, सा० कमाल, बेगूसराय

विषय :- उत्क्र० म० वि० मुरवेचक के भूमि का अतिक्रमण कर श्री केदार दास मिस्त्री के द्वारा भवन (इंदिरा आवास) बनाने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं उत्क्र० मध्य विद्यालय मुरवेचक का विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे विद्यालय के जमीन पर श्री केदार दास मिस्त्री श्री रामबालक दास ग्राम मुरवेचक, सा० कमाल के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर इंदिरा आवास के भवन का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्माण कार्य अविलम्ब रोकवाकर विद्यालय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक (I) विद्यालय शिक्षा स० में लिया गया निर्णय की छायाप्रति

(II) विद्यालय प्रधान द्वारा प्र० 20०3 शिक्षा पदा० सा० कमाल को दिया गया सूचना की छायाप्रति

विश्वासभाजन
अमृत पंडित

अध्यक्ष
वि० शि० स०
उत्क्र० म० वि० मुरवेचक

19/07/13

P.T.O

उपर्युक्त एजेंडा पर विचार विमर्श का
आरंभ अध्यक्ष अमृत पंडित द्वारा शुरू किया
गया जिसमें इन्होंने विद्यालय भूमि का
अतिक्रमण केदार दास पे० रामबालक दास
ग्राम मुरैचक [illegible] कन्हाउ द्वारा किए जाने
पर आपत्ति जताया साथ-ही साथ तदर्थ
वि० शिक्षा समिति के तीनों सदस्याओं ने
भी अतिक्रमण करने का विरोध किए।
उपस्थित ग्रामीणों में अनिक चौधरी, भरत
पंडित, सुनील पंडित आदि लोगों ने भी
कहा कि केदार दास के द्वारा जमीन का
अतिक्रमण करते हुए मकान निर्माण कार्य गलत
ढंग से किया जा रहा है।
उपस्थित लोगों ने सामूहिक निर्णय लेते
हुए इस अतिक्रमण की सूचना उच्चाधिकारी
को देने की बात कही।
उपस्थित लोगों ने वि० की भूमि को बचाने के
लिए हर संभव प्रयास करने की बात की।

1 अमृत पंडित
(2) [illegible] देवी
(3) आशा देवी
(4) सुकमति देवी
(5) [illegible] कुन्ती देवी
6 अनिक चौधरी
(7) भरत पंडित
(8) Sunil Kumar Pandit
(9) [illegible] कुमार

[illegible]
18-07-13
प्रधानाध्यापक
उत्क्रमित मध्य विद्यालय [illegible]

P.T.O

सेवा में,

अनुमंडलाधिकारी महोदय, बलिया, बेग०

विषय - उत्क्रमित म० वि० मुसेपकु के भूमि का अतिक्रमण कर श्री केदार दास के द्वारा भवन (इन्दिरा-आवास) बनाने के संबंध में,

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं उत्क्र० म० वि० मुसेपकु का विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे विद्यालय के जमीन पर श्री केदार दास पिता - श्री रामबालक दास, ग्राम मुसेपकु, थाना कमाल के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर इन्दिरा आवास के भवन का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्माण कार्य अविलम्ब रोकवाकर विद्यालय भूमि को अतिक्रमणों से मुक्त कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक (1) वि० शिक्षा स० के द्वारा लिया गया निर्णय की छायाप्रति
(2) वि० प्रधान द्वारा प्रखंड शिक्षा पदा० सा० कमाल को दिया गया सूचना की छाया प्रति

विश्वास भाजन
अमृत पंडित

अध्यक्ष
वि० शि० समिति
उत्क्रमित म० वि० मुसेपकु

P.T.O

उपर्युक्त एजेंडा पर विचार विमर्श का
आरंभ अध्यक्ष अमृत पंडित द्वारा शुरू किया
गया जिसमें इन्होंने विद्यालय भूमि का
अतिक्रमण केदार दास पे० रामबालक दास
ग्राम - मुरैचक [illegible] द्वारा किए जाने
पर आपत्ति जताया साथ ही साथ तदर्थ
वि० शिक्षा समिति के तीनो सदस्यों ने
भी अतिक्रमण करने का विरोध किए।
उपस्थित ग्रामीणों मे अनिल चौधरी, भरत
पंडित, सुशील पंडित आदि लोगों ने भी
कहा कि केदार दास के द्वारा जमीन का
अतिक्रमण करते हुए मकान निर्माण कार्य गलत
ढंग से किया जा रहा है।
उपस्थित लोगों ने सामूहिक निर्णय लेते
हुए इस अतिक्रमण की सूचना उच्चाधिकारी
को देने की बात कही।
उपस्थित लोगों ने विद्यालय की भूमि को बचाने के
लिए हर सम्भव प्रयास करने की बातें की।

1 अमृत पंडित
(2) [illegible] देवी
(3) अजीतदेवी
(4) सुकुमारीदेवी
(5) [thumb impression] [illegible] देवी
6 अनिल चौधरी
(7) भरत पंडित
(8) Sunil Kumar Pandit
(9) [illegible]

चन्द्रेश्वर [illegible]
18-07-13
प्रधानाध्यापक
राजकीय मध्य विद्यालय [illegible]

P.T.O

सेवा में
जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, बेगूसराय
~~[illegible]~~

विषय :- उत्क्र० म० वि० मुरवैयक के भूमि का अतिक्रमण कर श्री केदार दास पिता के द्वारा भवन (इन्दिरा आवास) बनाने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं उत्क्र० मध्य विद्यालय मुरवैयक का विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे विद्यालय के जमीन पर श्री केदार दास पिता श्री रामबालक दास ग्राम मुरवैयक, सा० कमाल के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर इन्दिरा आवास के भवन का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा उपेक्षा करने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्माण कार्य अविलम्ब रोकवाकर विद्यालय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक (1) विद्यालय शिक्षा स० में लिया गया निर्णय की छायाप्रति

(2) विद्यालय प्रधान द्वारा प्रखण्ड शिक्षा पदा० सा० कमाल को दिया गया सूचना की छायाप्रति

विश्वासभाजन
अमूल पंडित

अध्यक्ष
वि० शि० स०
उत्क्र० म० वि० मुरवैयक

[initials] 20/6/13

P.T.O

उपर्युक्त एजेंडा पर विचार विमर्श का आरंभ अधिवेश अमृत पंडित द्वारा शुरू किया गया जिसमें इन्होंने विद्यालय भूमि का अतिक्रमण केदार दास पे० रामबालक दास ग्राम मुबारक २०० कमाल द्वारा किए जाने पर आपत्ति जताया साथ ही ग्राम तथा वि० शिक्षा समिति के तीनों सदस्यों ने भी अतिक्रमण करने का विरोध किया। उपस्थित ग्रामीणों में अनिल चौधरी, भरत पंडित, सुनील पंडित आदि लोगों ने भी कहा कि केदार दास के द्वारा जमीन का अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य गलत ढंग से किया जा रहा है। उपस्थित लोगों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए इस अतिक्रमण की सूचना उच्चाधिकारी को देने की बात कही। उपस्थित लोगों ने वि० की भूमि को बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास करने की बात की।

1 अमृत पंडित
(2) [illegible] देवी
(3) आजती देवी
(4) सुकुमारी देवी
(5) [illegible] देवी
6 अनिल कु० चौधरी
(7) भरत पंडित
(8) Sunil Kumar Pandit
(9) [illegible] कुमार

[illegible]
18-07-13
प्रधानाध्यापक
उत्क्रमित मध्य विद्यालय [illegible]

P.T.O.

S.D.M / S.D.O बलिया हेतु
विचारार्थ

सेवा में,
अनुमंडलाधिकारी, बलिया

महाशय,

मुसेन्चक शिक्षा समिति और भाकपा (माले) बलिया अनुमंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भूखहड़ताल से मांग करते हैं कि :-

(1.) सा० कमाल प्रखंड के सरहा उत्तर पंचायत अन्तर्गत मुसेन्चक उत्क्रमित म० वि० की जमीन में इंदिरा आवास देकर स्कूल की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। इसे रद्द कर स्कूल की जमीन को अतिक्रमित होने से रोका जाय। स्कूल की जमीन की नापी कराकर घेराबंदी करवाई जाय।

(2.) सा० कमाल थानाध्यक्ष से जब होनहार नौजवान सुनीलकुमार सहित लोगों के साथ स्कूल के मसले पर बात करने गया तो सुनील कुमार और साथ गए महिलाओं के साथ थानाध्यक्ष ने गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। इसके लिए थानाध्यक्ष को ~~कारवाई~~ बरखास्त किया जाय।

(3.) सा० कमाल सीओ और बीडीओ पर कार्रवाई किया जाय।

(4.) स्कूली बच्चों को जहर परोसने वाली सरकार के शिक्षा मंत्री को बरखास्त किया जाय।

(5) पूर्णिया समेत विभिन्न जिलों में चल रहे जनांदोलनों पर पुलिसिया दमन बंद किया जाय। फर्जी मुकदमों में जेल में बंद आन्दोलनकारी महिला-पुरुषों को जेल से रिहा किया जाय।

(6.) अतिक्रमण का विरोध कर रहे सुनील पंडित, भरत पंडित अन्य अगुआ ग्रामीणों को केदार दास के द्वारा जान मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाय।

भवदीय

शिक्षासमिति अध्यक्ष - अटल पंडित बहु

(दिवाकर कुमार) सचिव (माले)

जुल्फ़ुर आलम, बलिया प्रखंड सचिव, भाकपा माले

रमापति यादव
अखिल भारतीय किसान महासभा
जिला सचिव सह भाकपा माले
सा० कमाल

शिक्षासमिति सचिव - ऊर्मिला देवी

28.7.13

P.T.O

P.T.O

समाहरणालय, बेगूसराय

(जन शिकायत कोषांग)

शिकायत सं० - 52

पत्रांक :   दिनांक : 30/11/14

शिकायत निपटारा हेतु जिन्हें भेजा जाना है - अनु० प०प०

पदाधिकारी, तेघरा

जिला पदाधिकारी का पृष्ठांकित निर्देश

30011140080

सहायक

प्रभारी पदाधिकारी

जन शिकायत कोषांग, बेगूसराय

P.T.O

P

शिक्षण संस्थानों के प्रति सरकार संवेदनहीन: माले

मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते माले कार्यकर्ता

बेगूसराय। शिक्षण संस्थानों के प्रति सरकार व प्रशासन संवेदनहीन है। यही कारण है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुसेचक परिसर से अर्द्धनिर्मित इंदिरा आवास नहीं हटाया गया है। इस सवाल को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। 9 जनवरी से उक्त विद्यालय में ताला लटका हुआ है। लेकिन, जिला प्रशासन की ओर से इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं हो रही है।

सोमवार को भाकपा माले की ओर से कलेक्ट्रेट के समक्ष आयोजित धरने में पार्टी के जिला सचिव दिवाकर ने ये बातें कही। उन्होंने उक्त विद्यालय को हाईस्कूल में स्तरोन्नयन करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि साहेबपुरकमाल के बीडीओ व सीओ ने जानबूझकर मामले को उलझाकर रखा है। इसलिए इन लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार पर जनविरोधी होने का आरोप लगाया। पूर्व जिला सचिव चंद्रदेव वर्मा ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा सत्ता प्राप्त करने के लिए बेताब है। भाजपा के पीएम कंडीडेट नरेंद्र मोदी देश को साम्प्रदायिकता की आग में ढकेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस कॉरपोरेट घरानों को राहत देते हुए भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित कर रही है। मौके पर नूर आलम, नन्हकू पासवान, सौरी पासवान, भरत पंडित, संजय एक्को, देवनीति पंडित, कैलास प्रसाद, तपेश्वर महतो, उषा देवी आदि थे।

P.T.O

विधालय भूमि पर निर्मित इन्दिरा आवास भ्रष्टाचार की जॉच कराने हेतू आवेदन पत्र

दिनांक:.......................

प्रेषक,

कोको पंडित उर्फ अमृत पंडित
पिता राम चलितर पंडित
ग्राम–मुसेचक
पो0–लखमिनिया
जिला-बेगूसराय (बिहार)
पिन कोड-851211।

सेवा में,

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,6
सर्कुलर रोड पटना 800015।

विषयः–प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेवपुर कमाल (बेगूसराय) द्वारा केदार दास पिता राम बालक दास उर्फ बलकू दास एंव इनके परिवार के सदस्यगण (ग्राम –मुसेचक पो0लखमिनिया,जिला बेगूसराय) से पैसा लेकर उत्क्रमित मध्य विधालय मुसेचक पंचायत सन्हॉ उत्तर थाना साहेवपुर कमाल अनुमंडल बलिया जिला बेगूसराय की भूमि पर इन्दिरा आवास बनाने की जाँच कर दोषी B.D.O एंव लाभूक केदार दास एंव इनके परिवार को सजा दिलाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में कहना है कि बेगूसराय (बिहार)के बलिया अनुमंडल के अन्तर्गत साहेवपुर कमाल प्रखंड सह अंचल +थाना के सन्हाँ उत्तर पंचायत के मुसेचक गॉव में एंक उत्क्रमित मध्य विधालय है। जो आस पास के कई गाँव के बच्चो के शिक्षा का एक मात्र केन्द्र है। जिसमे क्षेत्र भर के लगभग चार पाच सौ लड़के/लड़किया पढ़ते है।इसकी स्थापना 60 के दशक में ग्रामीणो के सहयोग से किया गया।इसे 1966 के आस पास, बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। इस विधालय का राजपाल बिहार सरकार के नाम कुल निबन्धित भूमि लगभग 17 कद्ठठा है जो दो अलग–अलग भाग एवं अलग–अलग समय में क्रमशः कांति देवी पति–स्व0 रंगू चौधरी तथा शकुनी देवी सह सुहगीया देवी पे0 – स्व0 राम स्वरूप दास से निबन्धित कराया गया। इसकी वास्तविक पहचान के लिए जब क्षेत्र के जाने–माने अमीन विमल किशोर सिंह एवं अलख महतों से नापी कराई गयी तब पता चला कि दक्षिण–पूर्व भाग में केदार दास पे0–राम बालक दास उर्फ बलकू दास तथा उनके परिवार के सदस्यगण द्वारा लगभग चार से पाँच कद्ठठा विद्यालय भूमि पर जर्वदस्ती कब्जा कर इन्दिरा आवास योजना के तहत पक्की भवन का निर्माण कर रहे है। ग्रामीण जब इसका विरोध किए तब केदार दास एवं इनके परिवार के सदस्यगण लाठी–डण्टा लेकर गाली–गलौज , मार–पीट करने लगे तथा जान से मारने की धमकी देने लगे। ग्रामीण इसकी शिकायत क्षेत्र के मुखिया भूषण शर्मा एवं सरपंच विनो महतों से किये। इन्होंने निर्माण स्थल का निरिक्षण कर सविनय निवेदनपूर्वक केदार दास एवं इसके परिवार

P.T.O

SP DANAPUR [illegible]

EU5402742[illegible]

Counter No:1, OP-Code:

To:H.A. HEDKO,

PATNA, PIN:800015

From:KOKO PANDIT, ALL[illegible]

Wt:22.0grams,

Amt:67.00, 24/02/2014 [illegible]

Taxes:Rs.7.00 Track [illegible]

दैनिक जागरण
25/1/2014

www.jagran.com

विद्यालय में तालाबंदी, एसडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन

संवाद सूत्र, बलिया : साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के सन्हा उत्तरी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मूसेचक के छात्र-छात्रा एक पखवाड़ा से विद्यालय में तालाबंदी से आजिज आकर ग्रामीणों के साथ बलिया अनुमंडल कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमित अर्द्धनिर्मित इंदिरा आवास हटाने, विद्यालय को हाई स्कूल का दर्जा देने, जमीन की घेराबंदी करने, इंदिरा अवास के लाभुक एवं दोषी बीडीओ पर कार्रवाई की मांग लेकर भाकपा माले व ग्रामीणों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया गया। जिसमें एक माह का समझौता किया गया। बावजूद मांग पूरी नहीं होने पर नौ जनवरी 2014 से अनिश्चितकालीन तालाबंदी की गई है। जिसमें शिक्षण कार्य बाधित है। मांगें पूरी

प्रदर्शन करते बच्चे — जागरण

हो ताकि शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चालू किया जाए। मांग पत्र एसडीओ किशोर कुमार प्रसाद को सौंपा। मौके पर अमृत पंडित, देवनीति पंडित, रामसुरेश यादव, शकलदेव पंडित, श्रीदेव महतो, अर्जुन यादव, रामप्रसाद चौधरी, सुनील कुमार, भाकपा माले के जिला सचिव दिवाकर कुमार एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं।

आयोजित : संवाद सूत्र, मंसूरचक : शुक्रवार को पालतू पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन अहियारपुर स्थिति

P.T.O

3965

सेवा में,

श्रीमान आरक्षी अधिक्षक बेगुसराय,

विषय :- साहेबपुर कमाल थाना अध्यक्ष के द्वारा गाली गलोज, मारपीट पर उतारू होने के सम्बंध में,

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं ऊषा देवी साहेबपुर कमाल की स्थायी निवासी हूँ। जब मैं मेरे मौजे, दामोदर पंडित, ग्राम, मुसेचक, थाना, साहेबपुर कमाल की स्थायी निवासी हूँ। जब मैं मेरे हि गाँव के केदारदास पिता - रामबालक दास के द्वारा उत्क्रमीत मध्यविद्यालय के प्रांगण के भूमि पर स्थाआवास का जबरन निर्माण कार्य कर रहे थे उसी का विरोध मैंने और ग्रामीण सुनिल पंडित एवं अन्य ग्रामीण महिला पुरुष किये इसपर केदार दास हमलोगों को जानसे मारने की धमकी दिए थे इसी संदर्भ में जब हमलोग बलिया डि॰एस॰पी॰ के द्वारा अनुशंसा किये गए आवेदन पत्र को दिनांक 13/7/2013 को थाना अध्यक्ष साहेबपुर कमाल के पास पँहुची आवेदन को पढ़ कर आवेदन लेने से इन्कार करते हुए गाली गलोज करने लगे विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो गये और थाना से भगा दिया जिससे हमलोग काफी अपमानीत महसूस कर रहे हैं। अपशब्द का प्रयोग करते हुए विरोध कर रहे स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं ग्रामीणों को झूठे मुकदमों में फसाने की धमकी देते हैं। अतः श्रीमान से आग्रह है कि घटना की जाँच कर जानसे मारने की धमकी देनेवाले व्यक्तियों के उपर F.I.R दर्ज कि जाए तथा अनुशंसा एवं सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के पक्ष में खड़े थाना अध्यक्ष के उपर कानूनी कार्यवाही कीजाए,

आपका विश्वासी

(1) किस्मत देवी (स्कूल सचिव)
(2) Sunil Kumar Pandit,
(3) अमृत [illegible]

प्रति लिपि
(i) जिला अधिकारी बेगुसराय
(ii) D.I.G मुंगेर

P.T.O

(56) अर्जुन यादव
(57) आशिक चौधरी
(58) आसान कुमार
(59) किशन पंडित
(60) राजो मालाकार
(61) देवेन्द्र मालाकार
(62) मिठ्ठी कुमार
(63) रोशन कुमार
(64) अरुण यादव
(65) चन्दन महतो
(66) मनोज चौधरी
(67) जीतू चौधरी
(68) नन्द किशोर चौधरी
(69) सीताराम
70 इन्दल पंडित
(71) सुनीता देवी
(72) जगत दास
(73) जया देवी
(74) सुमन दास -
(75) ओम प्रकाश पंडित
76 अमरेश कुमार
(77) सुशील कुमार
(78) राम सनेही पंडित
79 चन्दन कुमार

P.T.O.

104 धर्मेन्द्र कुमार

105 मुन्नी देवी

106) बिमल देवी

107) लक्ष्मी देवी

(108) दीपा कुमारी

109 काजल कुमारी

110) राजीव पाण्डेय

111) उषा देवी

112) रिना देवी

113) अजीत

114) दिनेश पंडित

115) इन्वार कुमार

116) राजकुमार

सेवा में,

श्रीमान अनुमंडल अधिकारी बलिया

विषय :- भाकपा माले के धारावाहिक आन्दोलन के मुद्दों के ₹ वादा खिलाफी एवं जनसमस्याओं को हल करने में विफल के खिलाफ बलिया अनुमंडल कार्यालय के समक्ष 25-09-20 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के माध्यम से हमारी मुख मांग ।

(1) साहेबपुर कमाल के मुसेफ ग्राम के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रागण से अर्धनिर्मित इन्द्रा आवास को हटाया जाए एवं दोषि लाभूक एवं पदाधिकारी के ऊपर अविलम्ब कानूनी कार्य किया जाए तथा स्कूल की जमीन का घेरा बन्दी किया जाए

(2). नगर पंचायत वार्ड 22 लखमीनियाँ मध्य विद्यालय दुर्गास्था P.W.D के पक्की रोड पर कि गई चहारदिवारी को अविलम्ब हटाया जाए एवं पहूँच पथ को मरम्मत किया जाए ।

(3). जानीपुर के गरीबो को पूर्णवासित किया जाए एवं अंचल अधिकारी के द्वारा भूमिहीनो पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जा

(4). बलिया सरकारी अस्पताल के डाक्टर की लापरवाही से हुई मनीष कुमार के मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए एवं उनके आश्रितो को पाँच लाख मुआवजा दिया जाए

(5). इन्द्रा आवास का फर्जीवाड़ा की जाँच कि जाए दोषी पदाधिकार पर कार्यवाही कि जाए तथा पंचायत समिति सदस्या चंदा देवी के ऊपर दर्ज मुकदमा वापस किया जाए ।

Balance

(6). बाढ़ पिड़ितो के बीच राहत वितरण धाँधली की जाँच कि जाए बाढ़ पिड़ितो के ऊपर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए। तथा नौका दुर्घटना के मृतकों के आश्रितो को पाँच-पाँच लाख मुआवजा अविलम्ब दिया जाए ।

(7). मनरेगा मजदूरों का बकाया राशि भुगतान किया जाए एवं छूटे हुए सभी गरिबो का नाम बी॰पी॰एल॰ सूची में शामिल किया जाए। जमीन आवास राशन किरासन की गारण्टी की जाए। कि स्वास्थ, बिजली, शिक्षा की व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए। माले कार्यकर्ता के ऊपर अपराधिक हमला में शामिल अपराधियों गिरफ्तार किया जाए एवं दर्ज झूठा मुकदमा वापस लिया जाए।

भवदीय
दिवाकर कुमार
जिला सचिव

प्रतिलिपी
(1) डी॰एम॰ बेगूसराय
(2) मुख्य मंत्री बिहार सरकार पटना

बलिया S.D.O / S.D.M आदेशानुसार
C.O & B.D.O बलिया द्वारा लिखित प्रमाणित

श्री दिवाकर कुमार
सचिव, भाकपा माले, बलिया जनपद कमेटी

विषय — भाकपा माले के धारावाहिक आन्दोलन के सम्बन्ध में बिन्दुवार उत्तर निम्न प्रकार है

(1) सोहांव ब्लाक के ग्रोमर ग्राम के अनुसूचित मछवा बिन्द के ग्रामीण से विभिन्न गरीब आवासों की माँग — को हटाने की कार्यवाही पर रोक के सम्बन्ध की जायेगी

(2) नगर पालिका वार्ड 22 [illegible] नं० [illegible] के ग्रामीण से [illegible] के PWD पक्की रोड पर की गई चाहरदीवारी को गिराये जाने आवश्यक कार्यवाही [illegible] की जा रही है, वर्तमान में प्रतिकूल अपराधियों के न्यायालय के फैसले के [illegible] किया जायेगा पश्चात माँग का [illegible]

(3) [illegible] के गरीबों को पुनर्वासित के सम्बन्ध में उचित जमा है कि अध्यक्षाधिकारी के न्यायालय से विधि सम्मत कार्यवाही से बाद निस्तारण के पश्चात [illegible] की जायेगी;

(4) बलिया सहकारी अस्पताल के [illegible] उत्तरदायी अधिकारी को उचित विधि सम्मत कार्यवाही हेतु [illegible] कार्यवाही की जा रही है। कर दिया गया। यहाँ पर [illegible] वालों [illegible] का भुगतान आयकर के [illegible] प्रक्रिया में है।

(5) इन्दिरा आवास के आवंटन में [illegible] जाँच जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा की गई है तथा दोषियों पर कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है।

(6) बाढ़ पीड़ितों को पंचायत स्तरीय प्रतिनिधियों के सहयोग से [illegible] वितरण किया जा रहा है तथा शेष को [illegible] ही राहत का वितरण किया जा रहा है।

(7) मनरेगा के बकाया मजदूरी भुगतान हेतु जिला से टीम का गठन किया गया है जिनके सहयोग से भुगतान निश्चित हो सकेगा [illegible] पंचायत स्तरीय [illegible]

P.T.O

2

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाअध्यापक उत्क्रमित मध्यविद्यालय मुसेचक
साहेबपुर कमाल (बेगू०)

विषय : स्कूल की जमीन से अर्धनिर्मित इन्द्राआवास हटाने चाहार दिवारी घेराबन्दी कर हाईस्कूल का दर्जा देने की माँग को लेकर 09 जनवरी 2014 से अनिश्चित कालिन तालाबन्दी कार्यक्रम के सम्बन्ध मे सुचनार्थ पत्र

महाशय,

कहना है कि उत्क्रमित मध्यविद्यालय मुसेचक प्रखण्ड साहेबपुर कमाल जिला बेगुसराय की जमीन पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा इन्द्राआवास अवंटीत कर निर्माण करवाया जा रहा था। जिसकी सुचना हम ग्रामीणों के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन स्थानीय पदाधिकारी एवं उच्च पदाधिकारी एवं जनता दरबार मे पहुँच कर जिला अधिकारी को दिया गया। बलिया S.D.O DCLR के जाँच के दौरान दोषि लाभुक, एवं B.D.O पर कार्यवाही की बाते विभिन्न अखबारों में छपी तथा उपरोक्त माँगो को लेकर 25 सितम्बर से 26 सितम्बर तक ग्रामीणो का भुख हड़ताल कार्यक्रम हुआ। जिसमें एक माह के अन्दर उपरोक्त माँगो को पुरा करने का लिखित समझौता अनुमंडल अधिकारी के आदेशानुसार बलिया के B.D.O एवं C.O के द्वारा किया गया इसके बावजूद माँगो को पुरा नहीं किया गया जिससे हम ग्रामीण एवं विद्यालय के अभिभावकों ने बाध्य होकर 25/12/2013 को आमसभा कर उपरोक्त कार्यक्रम दिनाक 9/01/2014 को विद्यालय मे अनिश्चित कालिन तालाबंदी करने का फैसला लिया।

अतः श्रीमान से आग्रह है तीन दिनों के अन्दर हमारी माँगे पूरी नहीं हुई तो कार्यक्रम लागू कि जाएगी।

समस्त ग्रामीण मुसेचक

भरत पंडि

P.T.O.

मूल प्रतिपाया
[illegible]
07.01.14
प्रधानाध्यापक
[illegible] विद्यालय मुसेचक

(1) आनन्दी पंडित

(2) माधुरी देवी

(3) मिथुन कुमार

(4) Kalo Kumar

(5) संकर पंडित

6 बदन शंख

(7) माया देवी

8 ननदेवी

9 भागरन देवी

10 निमल देवी

11 लालमनी देवी

12 रामानंद पंडित

13 रंजन देवी

14 बबीता देवी

15

[illegible] देवी

P.T.O

34 फूलू देवी

35 [illegible] देवी

36 रंजू देवी

37
38 राम [illegible] यादव

39 सुमन यादव

40 राम [illegible] यादव

41 [illegible] यादव

42 रंजू देवी

43 [illegible] देवी

44 ~~[illegible] देवी~~

45 सवीता देवी

46 [illegible] यादव

47 सुनीता देवी

48 Jagarnath [illegible]

49 [illegible] कुमार

50 [illegible]

51 [illegible]

52 [illegible]

53 [illegible] लाल [illegible]

P.T.O

79 भरत पंडित
80 अमिक चौधरी
81 राम प्रसाद चौधरी
82 ललन कुमार
83 शर्मिला देवी
84 मोहन चौधरी
85 मुरी चौधरी
86 रामदास
87 Aklesh Kumar
88 Chandan Pandit
89 मोहन चौ०
90 बजरंगी पंडित
91 वकिल चौधरी
92 दीपक कुमार चौधरी
93 फुलर पंडित
94 भगवान पंडित
95 नीलदेवी
96 सच्चीता देवि
97 रिंकु देवि
98 मिरा देवि

P.T.O

119 अनिता देवी

120 मनोज देवी

121 पंचानन्द पंडित

122 [illegible] कुमार

123 रंजू देवी

124 [illegible] देवी

125 श्रवण महतो

126 नीलम देवी

127 [illegible] देवी

128 [illegible] देवी

129 [illegible] देवी

130 रंजु देवी

131 शांति देवी

132 [illegible] महतो

133 मंजुरुप देवी

134 [illegible] देवी

135 [illegible]

136 गोपाल महतो

137 [illegible] महतो

138 सीता देवी

139 पैचन देवी

140 [illegible] देवी

141 पूजा देवी

142 गौतम कुमार

143 सशीला देवी

144 राजीव कुमार

145 मणी कुमार

146 पप्पु शर्मा

147 [illegible]

148 मृत्युंजय साह

149 मो० [illegible]

150 [illegible]

[illegible] दास

151 [illegible]

152 [illegible]

P.T.O

हिन्दुस्तान 15/1/2014

ग्रामीणों ने फूंका शिक्षा मंत्री का पुतला

बलिया | एक संवाददाता

बलिया बाजार में जुलूस निकालते ग्रामीण।

प्रशासनिक वादाखिलाफी के विरोध में मुसैचक के ग्रामीणों ने सोमवार को बलिया बाजार में जुलूस निकाला। जुलूस गांव से निकलकर हनुमान महतो टोला, लखमिनियां बाजार, बलिया बाजार, स्टेशन रोड होते हुए लखमिनिया स्टेशन परिसर पहुंचा।

जुलूस में शामिल लोगों ने शिक्षा मंत्री पीके शाही का पुतला दहन किया। मौके पर भाकपा माले नेता मो.सैफी, इंद्रदेव राम, सपेश्वर महतो, लड्डूलाल दास आदि ने कहा कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय के परिसर में अर्द्धनिर्मित [illegible] आवास हटाने, चहारदीवारी का निर्माण करने व इस विद्यालय को हाईस्कूल का दर्जा देने की मांग प्रशासनिक अधिकारी ने पूरा करने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के बाद भी ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होने पर उक्त विद्यालय में [illegible] जनवरी को भी तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी ने इस दिशा में लापरवाह बने हैं। विवश होकर ग्रामीणों को विरोध स्वरूप रोषपूर्ण जुलूस निकालना पड़ा। विद्यालय परिसर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी असफल रहे। इसके विरोध में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करना पड़ा। ग्रामीण संघर्ष [illegible] देवी, [illegible] पंडित, [illegible] देवी, [illegible]लाल चौधरी, [illegible] कुमार, अमृत पंडित, मो.रेहान आदि थे।

विरोध

- प्रशासनिक वादाखिलाफी के विरोध में ग्रामीणों ने निकाला जुलूस
- [illegible] जनवरी को ग्रामीणों ने की थी स्कूल में तालाबंदी

P.T.O

सेवा में,

श्रीमान अनुमंडलाधिकारी महोदय, बलिया (बेगूसराय)

दिनांक 24/1/2014

विषय :- छात्र-छात्राओं, महिलाओं, पुरुष, बुद्धिजीवियों के संयुक्त प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मुख्य मांगें।

महाशय,

कहना है कि साहेबपुर कमाल प्रखण्ड के सनहा उत्तरी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सनहा टोला की जमीन पर से अतिक्रमित इन्दिरा आवास हटाने, हाईस्कूल का दर्जा देने एवं जमीन की घेराबन्दी तथा इन्दिरा आवास के लाभुक एवं दोषी साहेबपुर कमाल बी०डी०ओ० के कार्यवाही को लेकर पिछले 25 सितम्बर 2013 से ग्रामीणों एवं भाकपा (माले) के द्वारा लगातार धारावाहिक आन्दोलन किया गया। इसी दौरान उपरोक्त मांगों को पूरा करने के लिये एक माह का लिखित समझौता किया गया था। मांग पूरा नहीं होने पर विगत 9 जनवरी 2014 से उक्त विद्यालय में ताला बन्दी आन्दोलन जारी है। इसी कारण से शिक्षण कार्य बाधित है। अतः आग्रह है उपरोक्त मांग को अविलम्ब पूरा करने की कोशिश की जाये। ताकि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चालू किया जाये।

प्रा० 24/1/14

आपका विश्वासी

अमृत पंडित

देवनीति पंडित

राम सुरेश यादव

सकल देव पंडित

नीतिन महतो

अर्जुन यादव

दिनकर कुमार

जिला सचिव
भाकपा (माले) बेगू०

राम प्रसाद चौधरी

अनिल कुमार

P.T.O

संदीप कुमार
सिकन्दर कुमार
मानसिंह कुमार
Amit Kumar
बिट्टू कुमार
संजीत कुमार
Prince Kumar
Prashant Kumar
विश्राम कुमार
~~Rahul Kumar~~
Rahul Kumar
सुमन कुमार
चंदन कुमार
Dharmendra Kumar
अभिषेक कुमार
अंगद कुमार
गुलशन कुमार
कृष्णा कुमार
लक्ष्मण कुमार
~~सचिन कुमार~~
प्रिंस कुमार
तुषार कुमार
अंकित कुमार
सुमित कुमार

सोनू कुमार
अमरेश कुमार
रूपचन्द्र कुमार
बलराम कुमार
सूरज कुमार
रविश कुमार
मनोज कुमार
संदीप कुमार
हीरू कुमार
साहेब कुमार
अर्जुन कुमार
धीरज कुमार
रामलखन कुमार
Gulshan Kumar

P.T.O

कोमल कुमारी
कबूतरी कुमारी
ज्योति कुमारी
रिंकु कुमारी
सरस्वती कुमारी
अंजली कुमारी
खुशी रानी कुमारी
सुरूची कुमारी
पँची कुमारी
कान्ता कुमारी
मितलेश कुमार
पुजा कुमारी
कुमकुम कुमारी
यशोदा कुमारी
बिनीता कुमारी
स्वाती कुमारी
मजुकुमारी

भारतीय डाक
India Post

RP DARAGANJ <211006>
A CU052762524IN
Counter No:1,OP-Code:OP
To:L,S, ADHIKARI[PIO],H, MINESTRY
N,DELHI, PIN:110001
From:K, PANDIT , ALLD
Wt:300grams,
Amt:36.00 , 25/04/2014 , 11:34
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

आवेद

प्रे...
...पंडित.
...
के ...

ग्रामीणों ने सीओआई, अमीन व चालक को बनाया बंधक

अर्मा प्रतिनिधि

साहेबपुरकमाल। साहेबपुरकमाल थाना के सान्हा उत्तर पंचायत अंतर्गत मुसेचक गांव में स्कूल की विवादित भूमि की जांच में गये, साहेबपुरकमाल अंचल के सीओआई रामदेव साहु, अमीन उमेश प्रसाद और सीओ के ड्राइवर मोती कुमार को स्थानीय ग्रामीणों ने बंधक बनाया। देर शाम तक इस मामले को लेकर अधिकारियों से समझौता के लिए ग्रामीण व नेताओं ने बातचीत का दौर जारी रखा,परन्तु समस्या से संबंधित निष्कर्ष नहीं निकाला।

इस बीच रात्रि लगभग नौ बजे सीओआई रामदेव साहु शौच करने के बहाने अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। वहीं उमेश प्रसाद अमीन को सान्हा पूरब पंचायत के मुखिया पुत्र बबलू झा के द्वारा ग्रामीणों से समझाने के बाद रात्रि साढ़े दस बजे मुक्त किया गया। वहीं सीओआई के चालक रात्रि बारह बजे उसी गांव में एक नजदीकी व्यक्ति के घर ठहरे।

» स्कूल की विवादित जमीन का मामला

समाचार भेजे जाने तक सीओ की सूमो गाड़ी स्कूल परिसर में उक्त ग्रामीणों के कब्जे में है। सीओ के ड्राइवर ने बताया कि मेरी गाड़ी के सामने एक पत्रकार की गाड़ी लगी थी। जिस कारण गाड़ी लेकर भागने के बाद भी हम वहां से निकल नहीं सके। जबकि उक्त पत्रकार के गाड़ी के आगे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

इस घटना की जानकारी के बाद घटनास्थल पर बीडीओ उपेन्द्र प्रसाद, सीओ जयकृष्ण प्रसाद, बलिया एसडीओ किशोर कुमार प्रसाद नहीं पहुंचे। साहेबपुरकमाल थाना के थानाध्यक्ष मो इरशाद आलम व अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर जाकर ग्रामीणों को समझाने का काम किये, परन्तु ग्रामीणों ने एक नहीं सुनी। इस घटना के संबंध में बेगूसराय एसपी हरप्रीत कौर ने पत्रकार को दूरभाष पर बताया कि मैंने बलिया एएसपी को घटना की जानकारी दी। पुलिस घटनास्थल पर गयी है। लेकिन जमीनी विवाद का मामला है, पुलिस इस मामले में आश्वासन या फैसला नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय बीडीओ से भी बात हुई है। मालूम हो कि मुसेचक स्थित मध्य विद्यालय के जमीन पर उसी गांव के एक व्यक्ति ने इंदिरा आवास का निर्माण किया है। जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। इसके बाद इस मामले में आंदोलन किया गया।

एसडीओ के समक्ष भूख हड़ताल करने पर आश्वासन मिला। परन्तु कार्रवाई नहीं हुई। जबकि बलिया एसडीओ ने लिखित समझौता में स्कूल की जमीन पर इंदिरा आवास बन जाने की स्थिति में उसे अतिक्रमण मुक्त करवाने का लिखित वादा किया है। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था। अंचलकर्मियों को बंधक बनाया। मामले में विवाद के फलस्वरूप ग्रामीणों ने नौ जनवरी से स्कूल में ताला बंद कर दिया है। जिस कारण सैंतीस दिनों से बच्चों का पठन पाठन बंद है। लेकिन प्रशासन को कोई खबर नहीं है।

अचानक मौसम बदला ठंड ने किया परेशान

गढ़पुरा, बेगूसराय । अचानक मौसम में परिवर्तन, आकाश में काली बादल व बूंदाबांदी होने से एक बार पुनः ठंड अपना विस्तर लगाते नजर आ रही है। वर्षा व धीमी सर्दी के कारण लोग घर में दुबके रहे।

इधर वर्षा रहे या तूफान किसानों को मवेशियों के चारा जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार तक ऐसी मौसम रहने का अनुमान है। इधर लोगों का मानना है कि वर्षा के बाद अगर तेज हवा या पत्थर गिरता है तो गेहूं फसल को नुकसान पहुंचेगा।

P.T.O

स्कूल की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने को ले छात्र व अभिभावकों का धरना

मांगों को लेकर खोला मोर्चा

बलिया अनुमंडल के मुसेचक मध्य विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में स्कूली बच्चों व ग्रामीणों ने अनुमंडल कार्यालय के सामने दिया धरना

आक्रोश

- भाकपा माले के बैनर तले लोगों ने निकाला जुलूस
- एसडीओ ने तीन दिनों के अंदर कार्रवाई का दिया आश्वासन

बलिया। एक संवाददाता

उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुसेचक की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर उक्त गांव के दर्जनों महिला, पुरूष एवं विद्यालय के बच्चों ने सोमवार को भाकपा माले के नेतृत्व में जुलुस निकाला। जुलुस विद्यालय से निकलकर लखमिनिया, बलिया बाजार होते हुए अनुमंडल मुख्यालय पहुंचा।

इसके बाद सभी लोग विद्यालय की जमीन के अतिरिक्तक्रमण मुक्त होने तक अनिश्चितकालिन भूख हड़ताल बैठ गये। यह मामला तभी शांत हुआ जब बलिया एसडीओं ने तीन दिनों के अन्दर ही अतिक्रमण मुक्त कराने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। माले के जिला सचिव [illegible] चन्द्रदेव वर्मा, लड्डूलालदास, सुनील पंडित, उषा देवी, तपेश्वर महतो, मो. सैफी आदि ने बताया कि उक्त विद्यालय की जमीन पर इन्दिरा आवास का निर्माण किया जा रहा है। इसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने प्रायः सभी अधिकारियों के यहां गुहार लगाई। बावजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होने से क्षुब्ध होकर आन्दोलन का रूख अख्तियार करना पड़ा है। सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बलिया एसडीओ से मिलकर विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने साथ साथ घेराबंदी करवाने आदि की मांग की। अन्य मांगों में ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले साहेबपुरकमाल के थानाध्यक्ष को बर्खास्त करने, सीओ एवं बीडीओ पर कार्रवाई करने, बच्चों को जहर परोसने वाली सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने आदि शामिल हैं।

P.T.O

इंदिरा आवास के निर्माण में फंसा पेच

साहेबपुरकमाल | एक संवाददाता

डीएम की अनुपस्थिति में बलिया एसडीओ केके सिंह, डीसीएलआर प्रभात चंद्र बुधवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचे।

उन्होंने बीडीओ कार्यालय कक्ष में बैठकर मुसेचक उत्क्रमित मध्य विद्यालय की जमीन पर इंदिरा आवास से संबंधित कागजात की जांच की। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि उक्त विद्यालय की जमीन पर इंदिरा आवास बनवा रहे केदार दास ने जिस जमीन का खाता खेसरा आवेदन में अंकित किया है। उस जमीन में इंदिरा आवास नहीं बनवाया जा रहा है। जो कानूनन अपराध है। इसके लिए लाभुक सहित बीडीओ भी जिम्मेवार हैं। स्कूल की जमीन के कागजात बार-बार मांगे जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर डीसीएलआर ने बीईओ रामानुज सिंह को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अधिकारी की लापरवाही से ही सरकारी जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। प्रमुख मनोज कुमार, सीओ जयकृष्ण प्रसाद, बीडीओ उपेन्द्र विश्वास भी थे।

गड़बड़झाला

- स्कूल की जमीन में इंदिरा आवास निर्माण का हुआ खुलासा

सेवा में;
श्री मान अंचलाधिकारी महोदय
[illegible]

विषय :- मौजा - बरखड़ा खेसरा नं० - 696 म०वि० मुसेलक के [illegible] प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय

श्री मान के आदेशानुसार मौजा - बरखड़ा थाना नं० - 63.6 खेसरा नं० - 696 का विभिन्न मुसल्किलों एवं नक्शा से नापी किया। नापी के उपरान्त पाया कि खेसरा नं० - 696 का कुल रकवा 0-14-12-0 है तथा इस खेसरे में स्कूल के अलावा और भी ग्रामीणों का इसमें पक्का मकान, खपड़ैल, ईंट एवं फूस का मकान तथा सहन के रूप में बसा हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित है।

रकवा स्क्वायर फीट

1 - भोला दास पे० - स्व० दोकाय दास = 3229 वर्गफीट - कुछ भाग पक्का एवं ईंट खपड़ैल का मकान एवं सहन
2 - छत्री चौधरी पे० - स्व० चन्दर चौ० = 3099 " - इन्दिरा आवास ईंट खपड़ैल एवं सहन
3 - विजय चौधरी पे० - स्व० चांके चौ० = 3236 " - ईंट खपड़ैल एवं [illegible]
4 - प्रमोद साह पे० - वैजनाथ साह = 4993 " - ईंट खपड़ैल एवं [illegible]
5 - साह जी = 1102 " - ईंट खपड़ैल [illegible]
6 - रामबालक दास पे० - बनारसी दास = 5459 " - कुछ भाग खपड़ैल ईंट एवं [illegible] पक्का मकान
7 - गोड़ लाल दास पे० - स्व० बनारसी दास = 1074 " - ईंट खपड़ैल [illegible] बसा हुआ है
8 - राजाराम दास पे० - स्व० बनारसी दास = 447 " - ईंट [illegible] एवं [illegible]
9 - रामप्रवेश चौधरी - जानुन चौधरी = 946 " - ईंट दिवार एवं [illegible]
10 - गोकुल चौधरी - पे० स्व० हिरालाल चौ० - 680 " - ईंट का छत पक्का मकान एवं सहन
11 - राजेन्द्र दास पे० - कलेश्वर दास = 1515 " - ईंट पक्का मकान [illegible]
12 - रामबालक दास पे० स्व० बनारसी दास वगैरह = 4132 " ईंट छत एवं [illegible]
13 - म० वि० मुसेलक = 25394 " - ईंट छत एवं खपड़ैल मकान एवं सहन के रूप में।
14 - ग्रामीण सड़क जो खेसरा से जाती है = 4500 " = ईंट सोलिंग सड़क

अतः खेसरा नं० - 696 में म० वि० मुसेलक का रकवा 0-1-6-0

और खेसरा नं० - 718 एवं [illegible] रकवा 0-5-11-0 [illegible] का भवन एवं फिल्ड के रूप में कुल रकवा :- 0-15-17-0 है। आवेदित है।

उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित
[illegible]

P.T.O

TWENTY FIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की नियत तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	18/3/13	19/3/17

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की नियत तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
5 APR [illegible]				

[illegible]

13/5/13

[illegible]

मौजा — बरहड्डा   थाना — [illegible]   [illegible] — [illegible]   जिला — बेगूसराय

फरीकैनों का नाम एवं पिता/पति का नाम तथा पूरा पता	मौजा	ग्राम	थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा ए०	रकबा डि०	चौहद्दी	दस्तावेज का प्रकार	लगान	केवाला नं०	अभियुक्ति
श्रीमती [illegible] देवी जौ० स्व० [illegible] दास, ग्राम — गुड़ौली, थाना — [illegible], [illegible], जि० बेगूसराय	बरहड्डा	गुड़ौली	626	134	95	120	0 घा०	06 डि०	उ. [illegible], द. [illegible]	[illegible] दस्तावेज [illegible]	[illegible]	32/1995	

मुहर

[illegible]
[illegible]

मौजे - करछा थाना नं. 626
खेसरा - 696

दखल-कब्जे का नजरी नक्शा (खेसरा - 696 में)

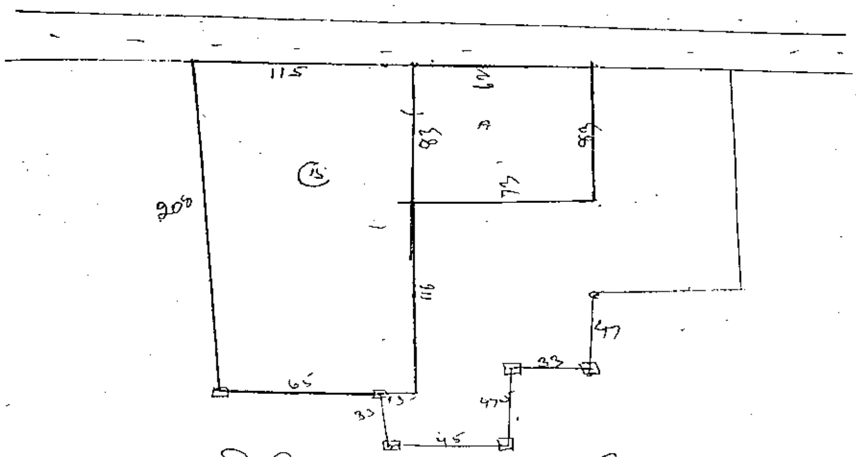

खेसरा	Block	पैमाइश		
696	A	5602	1 - 7 - 16	
	B	19,792	4 - 18 - 04	
		25394	6 - 6 - 00	

~~जमीन मौजे का इस्तेमाल~~
(1) ~~मकान~~
(2) अलग मकान

बेगूसराय जिले के प्राथमिक विद्यालयों की सूची

प्रखण्ड — साहेबपुर कमाल

जून १९७७

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	स्वीकृत शिक्षक ५८	कार्यरत शिक्षक संख्या	वर्ग I	II	III	IV	V	VI	योग	भूमि ए० डी० धू०	भवन कमरे	अभ्युक्ति
	प्राथमिक विद्यालय हरदिया पत्रा० हरदिया	३	३	६८	२८	१७	१८	—	—	१२६	०-३-०	२	
	,, बलहुआ पत्रा० [illegible]	५	४	७१	२५	३३	२४	—	—	१५४	०-६-०	४	
	,, [illegible] पत्रा० पुनानपुर	३	३	७४	१७	१४	१७	—	—	१२४	०-४-६	४	
	,, [illegible] पत्रा० हरदिया	३	३	१०२	६	१०	१३	—	—	१३४	०-२-०	३	
	उर्दू प्रा० [illegible]	१	३	१०४	२६	२२	११	—	—	१६६	०-६-०	१	
	[illegible] कुरहा पत्रा० साहेबपुर कमाल			६६	३४	४०	३१	—	—	१७३	०-५-०	४	
	प्रा० विद्या० [illegible]	४		४०	६६	२२	३५	—	—	११०	०-२-१४	२	
	[illegible] पत्रा० साहेबपुर कमाल												
	उर्दू प्रा० विद्या० साहेबपुर पत्रा० साहेबपुर कमाल	४	४	६४	२४	४०	३५	—	—	१५३	०-१-१०	१	
	प्राथमिक विद्यालय [illegible] पत्रा० साहेबपुर कमाल	३	१	३३	२७	२४	१७	—	—	१०१	०-१४-०	४	
	प्राथमिक विद्यालय [illegible] पत्रा० साहेबपुर कमाल	२	२	४३	१०	१८	२	—	—	७५	०-४-०	२	
	प्राथमिक विद्यालय [illegible] पत्रा० [illegible]	३	३	७१	१८	२९	१०	—	—	११६	०-११-१०	२	
	,, साहेबपुर पत्रा० [illegible]	४	४	१२६	१४	२४	११	—	—	१७५	०-१०-०	३	
	,, [illegible] पत्रा० [illegible]		२	११८	५१	१७	८	—	—	१९४	०-४-०		
	,, [illegible] पत्रा० [illegible]	४	१	८०	६९	१०		—	—	१३३	०-२-०	—	
	,, [illegible] पत्रा० हरदिया	२	२	५१	६	८	१२	—	—	८०	४-१४-४	२	

बेगूसराय जिले के प्रारंभिक विद्यालयों की सूची—

प्रखंड — साहेबपुर कमाल

जून १९६७

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत शिक्षक पद	कार्यरत शिक्षक संख्या	वर्गानुसार छात्रों की संख्या I	II	III	IV	V	VI	योग	भूमि ए. क. धू.	भवन कमरे	अभ्युक्ति
४६	प्राथमिक विद्यालय श्री चाँदपुर पत्रा० शालिग्रामी	३	३	८८	२२	२१	१२	—	—	१४४	०-५-०	२	
४७	प्रा० वि० आहोकघाट कोलिटोल पत्रा० आहोक	३	३	१३२	१८	१८	५	—	—	१७३	०-२-२	२	
४८	प्राथमिक विद्यालय रामपुर पत्रा० साहेबपुरकमाल	३	३	११०	१८	२०	१६	—	—	१६७	१-१२-०	३	
४९	प्राथमिक विद्यालय दुल्लपुर पत्रा० साहेबपुरकमाल	३	३	१२६	१०	१२	१०	—	—	१५८	०-१-७	१	
५०	प्राथमिक विद्यालय संदलपुर पत्रा० साहेबपुरकमाल	१	१	८०	६	६	४	—	—	९६	०-४-०	—	
५१	प्राथमिक विद्यालय बहुलीरिया पत्रा० साहेबपुरकमाल	२	२	१३३	१०	८	१४	—	—	१६६	[illegible]	—	
५२	प्राथमिक विद्यालय झानटोल पत्रा० साहेबपुरकमाल	२	२	६९	४८	—	१	—	—	११८	०-६-१०	—	
५३	उर्दू प्राथ० विद्या० पोखरटोली पत्रा० साहेबपुरकमाल	२	२	६६	६४	२१	४	—	—	१५७	०-२-०	१	
५४	प्राथमिक विद्यालय मिलनचोई पत्रा० साम्हो	४	४	१०१	२०	३२	१४	—	—	१६७	०-४-०	४	
५५	„ „ मुतेषक पत्रा० लखमिनियाँ	३	[illegible]	१२६	९६	७०	८	—	—	१९४	०-१२-१०	४	
५६	„ „ गंगलनराय पत्रा० साम्हो	३	३	१११	२४	५	३	—	—	१४६	०-२-०	२	
५७	उर्दू प्राथ० विद्या० पुनियाटोल साम्हो	२	१	१३५	२२	७	२	—	—	१६६	०-१-०	—	
५८	प्राथमिक विद्यालय पांचकसी पत्रा० रूपटोली	३	३	११०	१०	११	१६	—	—	१४८	०-३-१०	२	
५९	„ „ कुमारिया पत्रा० साहेबपुर	२	२	११६	१२	५	—	—	—	१४६	—	—	
६०	„ „ चाँदपुर पूरबटोल पत्रा० चाँदपुर	३	३	१२०	१४	१६	१२	—	—	१६४	०-३-०	१	